

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा महासमुंद जिला के महासमुंद वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बसना, पिथौरा एवं सरायपाली ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर महोदय, जिला बस्तर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।



प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

वास्ते - अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़




वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल, महासमुंद
महासमुंद वनमण्डल,
जिला- महासमुंद, छत्तीसगढ़

कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला महासमुन्द (छ0ग0)

दूरभाष क्रमांक - 07723223969, ई-मेल landrecordmsd2000@gmail.com

- / / अनापत्ति प्रमाण पत्र / / -

क्रमांक ८७ / कले0 / भू0अ0 / रा0नि0 / 2020

महासमुद दिनांक ०४/०१/२०२०

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर भवन
सिविल लाईन्स रायपुर

विषय :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारत नेट प्रोजेक्ट (A part of digital india) का सफल क्रियान्वयन हेतु जिला क्षेत्र महासमुन्द वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत पिथौरा एवं बसना ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर आष्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किये जाने मार्ग में प्रभावित राजस्व वन भूमि 0.374 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र "CEO छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी CHIPS रायपुर के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध।

संदर्भ :- 1. छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्राद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के आदेश दिनांक 29 जनवरी 2018
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुन्द का पत्र क्रमांक 6023 दिनांक 25/10/2019

—0—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाईन्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा "भारत नेट प्रोजेक्ट" एवं छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्राद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के आदेश दिनांक 29 जनवरी 2018 के तहत महासमुन्द जिले अन्तर्गत पिथौरा एवं बसना ब्लॉक के शामिल ग्रामों के मार्ग समानांतर आष्टिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए राईट ऑफ वे कार्य बाबत प्रस्तावित राजस्व विभाग के राजस्व भूमि के संबंध में तहसीलदार पिथौरा एवं बसना से जांच प्रतिवेदन लिया गया। जिसमें प्राप्त अभिमत निम्नानुसार है :-

क्र	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	प्रभावित क्षेत्र की रकबा (हे.)	मद (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7
1	पिथौरा	कौड़िया	144	0.017	बड़े झाड़ के जंगल	
2	पिथौरा	कौड़िया	548	0.035	बड़े झाड़ के जंगल	
3	पिथौरा	कौड़िया	197	0.003	बड़े झाड़ के जंगल	
4	पिथौरा	कौड़िया	553	0.004	बड़े झाड़ के जंगल	
5	पिथौरा	कौड़िया	199	0.031	बड़े झाड़ के जंगल	
6	पिथौरा	लारीपुर	72	0.004	बड़े झाड़ के जंगल	
7	पिथौरा	लारीपुर	75	0.012	बड़े झाड़ के जंगल	
8	पिथौरा	लारीपुर	201	0.003	बड़े झाड़ के जंगल	
9	पिथौरा	ठाकुरदिया कला	565	0.004	बड़े झाड़ के जंगल	
10	पिथौरा	लिलेसर	274	0.003	बड़े झाड़ के जंगल	
11	पिथौरा	नयापाराकला	497	0.030	बड़े झाड़ के जंगल	

क्र	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	प्रभावित क्षेत्र की रकबा (हे.)	मद (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7
12	पिथौरा	नयापाराकला	535	0.012	बड़े झाड़ के जंगल	
13	पिथौरा	सेवैयाकला	568	0.018	बड़े झाड़ के जंगल	
14	पिथौरा	बड़े टेमरी	434	0.005	बड़े झाड़ के जंगल	
15	पिथौरा	बड़े टेमरी	443	0.014	बड़े झाड़ के जंगल	
16	पिथौरा	बड़े टेमरी	441	0.007	बड़े झाड़ के जंगल	
17	पिथौरा	बड़े टेमरी	507	0.031	बड़े झाड़ के जंगल	
18	पिथौरा	बड़े टेमरी	508	0.010	बड़े झाड़ के जंगल	
19	पिथौरा	बड़े टेमरी	510	0.002	बड़े झाड़ के जंगल	
20	पिथौरा	बड़े टेमरी	531	0.003	बड़े झाड़ के जंगल	
21	पिथौरा	बड़े टेमरी	533	0.007	बड़े झाड़ के जंगल	
22	पिथौरा	बड़े टेमरी	538	0.001	बड़े झाड़ के जंगल	
23	पिथौरा	बड़े टेमरी	217	0.011	बड़े झाड़ के जंगल	
24	पिथौरा	बड़े टेमरी	539	0.009	बड़े झाड़ के जंगल	
25	पिथौरा	बड़े टेमरी (नकटीनाला प.) पुराना तु.	44	0.010	बड़े झाड़ के जंगल	
26	पिथौरा	बड़े टेमरी (नकटीनाला प.) पुराना तु.	41	0.004	छोटे झाड़ के जंगल	
27	पिथौरा	बड़े टेमरी भैसानाला	1	0.010	छोटे झाड़ के जंगल	
28	पिथौरा	झागरेनडीह	654	0.001	छोटे झाड़ के जंगल	
29	पिथौरा	राजासेवैयाखुर्द	688	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
30	पिथौरा	सुखीपाली	501	0.008	बड़े झाड़ के जंगल	
31	पिथौरा	सुखीपाली	947 / 1	0.007	बड़े झाड़ के जंगल	
32	पिथौरा	सुखीपाली	952	0.011	छोटे झाड़ के जंगल	
33	पिथौरा	सुखीपाली	953	0.004	छोटे झाड़ के जंगल	
34	पिथौरा	बेलडीह	455	0.006	बड़े झाड़ के जंगल	
35	पिथौरा	बेलडीह	457	0.012	बड़े झाड़ के जंगल	
36	पिथौरा	बेलडीह	1063	0.001	बड़े झाड़ के जंगल	
37	पिथौरा	बेलडीह	1065	0.001	बड़े झाड़ के जंगल	
38	पिथौरा	बेलडीह	1066	0.001	बड़े झाड़ के जंगल	
39	पिथौरा	बेलडीह	1158	0.011	बड़े झाड़ के जंगल	
40	बसना	कुरमाडीह	252	0.006	बड़े झाड़ के जंगल	
योग :-				0.374		

अतएव उक्त 14 ग्रामों के 40 खसरा नम्बर, कुल रकबा 0.374 हे० भूमि का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाती है।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित वन भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य हेतु दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जा सकता।
2. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु अन्य सभी विभागों से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. विषयांकित कार्य के संपादन में सड़क एवं उसके किनारों में टुट-फुट व खोदे गये गड्ढों का भराव संतोषप्रद किया जावे तथा ग्रामों में धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित न किया जायें।
4. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी।
5. इस अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
6. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।

कलेक्टर
जिला महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द दिनांक 08/01/2020

पृ०कमांक 68/कले०/भू०अ०/रा०नि०/2020
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिक विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी महासमुन्द की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा०) पिथौरा/सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
जिला महासमुन्द (छ.ग.)